रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2002/ज्येष्ठ 8, 1924
No. 136] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2002/JYAISTHA 8, 1924

कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 मई, 2002

सं. 11(27)/99-खान-I.—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) के कार्यों और कर्त्तव्यों से संबंधित चार्टर को पिछली बार भारत के गजट में दिनांक 25 अगस्त, 1973 को अधिसूचित किया गया था । पिछले लगभग 30 वर्षों में भू-विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका है और सर्वेक्षण और गवेषण को डील करने वाले सरकारी संगठनों की प्रकृति और भूमिका में भी परिवर्तन हुआ है । खान विभाग के कार्यों, गतिविधियों और ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के बारे में व्यय सुधार आयोग ने सिफारिश करते समय यह सुझाव दिया है कि एक "विशेषज्ञ समिति" का गठन किया जाए जो जी.एस.आई. के लिए संशोधित चार्टर बनाने के उद्देश्य से सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी और वह कार्मिकों के उन क्षेत्रों/ग्रुपों की पहचान करेगी जहां पर आयोग द्वारा सुझाए अनुसार कार्मिकों की संख्या में कमी की जा सकती है ।

2. तदुनसार, भारत सरकार एतद्-द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन करती है जिसका गठन इस प्रकार होगा : -

– श्री अरविन्द वर्मा पूर्व सचिव (खान)	अध्यक्ष
– डा. एस.के. जोशी पूर्व महानिदेशक, सी.एस.आई.आर.	सह-अध्यक्ष
– श्री रवि शंकर पूर्व महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	सदस्य
– श्री पी.सी. मंडल महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	पदेन सदस्य
– श्री के.एस. राजू महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो	पदेन सदस्य

– अध्यक्ष — पदेन सदस्य
फिमि

– निदेशक — पदेन सदस्य
एन.जी.आर.आई.

– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग का प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से निचले स्तर का न हो)

– प्रोफेसर एस.के. टंडन
डीन, अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले

– श्री देवाशीष चटर्जी
वरिष्ठ उप महानिदेशक
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

– श्री हेम पांडे — सदस्य-सचिव
निदेशक

3. विशेषज्ञ समिति के विचारणीय-विषय निम्नानुसार होंगे : -

(1) विगत 30 वर्षों में भू-विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) की भूमिका और कार्यों के मूल्यांकन के मार्फत जी.एस.आई. के चार्टर की जांच करना तथा इसमें उपयुक्त परिवर्तनों की सिफारिश करना ।

(2) कार्मिकों के कौशल के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण अपेक्षाओं, संगठनात्मक ढांचे; विशेषज्ञता के मौजूदा स्तर का मूल्यांकन करना ताकि इन्हें उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके ।

(3) जी.एस.आई. को विश्व के अग्रणी सर्वेक्षण संगठनों के समकक्ष बनाने के लिए मौजूदा तकनीकी और उपकरण सप्पोर्ट सिस्टम की जांच करना, कार्यभार के स्तर का मूल्यांकन करना और हवाई, समुद्री और जमीनी सर्वेक्षणों के आधुनिकीकरण हेतु सिफारिशें देना ।

(4) जी.एस.आई. द्वारा सभी स्रोतों से डाटा की प्राप्ति, इसके वर्गीकरण और भंडारण तथा जनता में इसके प्रसारण हेतु संस्थागत और विनियामक फ्रेमवर्क का सुझाव देना ।

(5) वैज्ञानिक आंकड़ा एकत्र करने, इसकी प्रभावशीलता की तुलना में इसके मिलान की मौजूदा प्रणाली की जांच करना और इसके उपयोग के अनुकूल वातावरण में अंकीकरण और प्रसार की एकप्रणाली विकसित करना;

(6)खनिज क्षेत्र में उदारीकरण, खान और खनिज (विकस और विनियमन) अधिनियम, में परिवर्तन, सर्वेक्षण और गवेषण के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का आकलन करना और वैज्ञानिक संस्थाओं और उद्योग के साथ आपसी संपर्क बनाए रखने हेतु संस्थागत फ्रेमवर्क का सुझाव देना; और

(7) जी.एस.आई. की भूमिका और कार्य में ओवर लैप्स और ग्रे एरिया के साथ-साथ महासागर विकास विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय और जल संसाधन

मंत्रालय की भू-विज्ञान संबंधी गतिविधियों का विश्लेषण करना और आंकड़े के आदान-प्रदान और कारगर सहयोग के लिए प्रणाली का सुझाव देना ।

4. समिति का कार्यालय जी.एस.आई. के दिल्ली कार्यालय में होगा । समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 1000/- रू. प्रतिदिन का मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव है । सभी गैर-सरकारी सदस्यों/अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष को स्थानीय और स्टेशन के बाहर की यात्रा के लिए वही ट्रेवेलिंग/बोर्डिंग और दैनिक भत्ते आदि मिलेंगे जो भारत सरकार के सचिव को मिलते हैं । इस संबंध में होने वाले व्यय को जी एस आई के बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा । सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उनकी हकदारी के अनुसार उनके मूल संगठन से मिलेगा । जी.एस.आई. का स्थानीय कार्यालय समिति को पूरा सहयोग और सहायता देगा ।

5. समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदर्श मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL AND MINES

(Department of Mines)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd May, 2002

No. 11(27)/99-M.I.—The charter relating to the functions and responsibilities of the Geological Survey of India (GSI) was last notified in the Gazette of India on August 25, 1973. Since last nearly 30 years many developments have taken place in the field of earth sciences and changes have taken in the nature and role of Governmental organizations dealing with survey and exploration. The Expenditure Reform Commission while making the recommendation about Rationalization of the Functions, Activities and Structure of the Ministry of Mines, suggested that an 'Expert Committee' be set up to formulate a detailed action plan for implementation the suggestions for a revised charter for GSI and to identify the disciplines/groups of personnel where reduction in numbers as suggested in the Commission's report should be effected.

2. Accordingly, the Government of India hereby set up an Expert Committee with the following composition:-

Shri Arvind Verma Former Secretary(Mines)	Chairman
Dr.S.K.Joshi Former Director General, CSIR	Co-Chairman
Shri Ravi Shankar Former Director General Geological Survey of India	Member
Shri P.C.Mandal Director General,	Ex-officio Member

Geological Survey of India

Shri K.S.Raju — Ex-officio Member
Controller General,
Indian Bureau of Mines

President — Ex-officio Member
FIMI

Director — Ex-officio Member
NGRI

Representative of the Department of Science & Technology and Department of Ocean Development(not below the rank of Joint Secretary)

Professor S.K.Tandon
Dean, Research & International Affairs

Shri DevashishChatterjee
Senior Deputy Director General
Geological Surveyof India

Shri Hem Pande — Member-Secretary
Director

3. The terms of reference of the Expert Committee will be as follows:-

(1) To examine and recommend suitable changes in the Charter of GSI through assessment of the role and functions of Geological Survey of India(GSI) in the light of developments in the field of earth sciences over the last 30 years;

(2) To assess the existing level of expertise, organizational structure, requirement of training needs to upgrade skills of the personnel to match the emerging requirements;

(3) To examine the existing technical and equipment support system, assess the level of workload and make recommendations for modernization of airborne, marine and ground surveys so as to make GSI at par with the leading surveys of the world;

(4) To suggest institutional and regulatory framework for acquisition of data by GSI from all sources, its classifications and storage and dissemination in the public domain;

(5) To examine the existing system of scientific data collection, its effectiveness vis-à-vis assimilation and make recommendations to devise a system of digitization and dissemination in a user friendly manner;

(6) To assess the challenges posed by liberalization in mineral sector changes in Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, entry of Multi National Companies in the field of survey and exploration and to suggest an institutional framework for interact, on with the scientific institutions and industry; and

(7) To analyse the overlaps and the grey areas in the role and functions of GSI Vis-à-vis earth sciences related activities of Department of Ocean Development and Department of Science and Technology, Ministry of Environment and Forest and Water Resources and to suggest a mechanism for exchange of data and meaningful cooperation.

4. The Office of the Committee will be at the Delhi Office of Geological Survey of India. The non-official members are proposed to be given an honorarium of Rs.1000/- per day for each day they are required to take part in the meeting of the Committee. All the non-official Members/Chairman/Co-Chairman for local as well as outstation travel, will draw the same traveling/boarding and daily allowance entitlements as Secretary to the Government of India. The expenditure in this regard will be met from the Budget Grant of the Geological Survey of India. The official members will draw TA/DA from parent organization as per their entitlement. The local office, GSI will extend full cooperation and assistance to the Committee.

5. The Committee will submit its final report within a period of three months

ADARSH MISRA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.